

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

क्रमांक- 580 /999/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2017-18 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 31/12/2016 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/01/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डबल्यू.पी. 8151/2016 में दिनांक 13/01/2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 289/11/न्याया/17/सीसी/अडतीस दिनांक 27/02/2017 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श किया जाना अनिवार्य किया गया है।

5. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध 23 संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1(5) के पालन में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु संस्थावार सूचना संस्था के "लॉग-ईन" पर "अपलोड" कर, एवं इसकी सामान्य सूचना विभागीय 'वैब-साईट' पर प्रदर्शित की जाकर पूर्ति के दस्तावेज प्राप्त किये गये।

6. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक अका./2017/639, दिनांक-11.3.2017 द्वारा शासनादेश दिनांक 27/02/2017 के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया।




/2//

7. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्राप्त अभिमत के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण किया गया।

8. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के अभिमत तथा परीक्षण के तथ्यों को दृष्टिगत रख आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार महाविद्यालयों के लिये निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-

(1)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	गुरु गोविन्द सिंह एजु0 सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	माता गुजरी महिला महा0 जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र अप्राप्त हैं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम —निरक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम पीजीडीसीए


  
विशेष अनापत्ति अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
जबलपुर, मध्यप्रदेश (482002)

(2)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	साइनिंग स्टार एजु0 सोस0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	नचिकेता इस्टी0 आफ मैनेजमेंट एण्ड इनफारमेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय-समाज, बी0एससी0-तृतीय- माईकोबायोलॉजी
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता तथा अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र अप्राप्त हैं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम -निरंक-
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी0ए0-तृतीय-समाज, बी0एससी0-तृतीय-माईकोबायोलॉजी

(3)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कोजेन्ट एजु0 सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	कोजेन्ट कालेज आफ हायर स्टडीज, जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-राजनीति, इतिहास, समाज,
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0काम0-द्वितीय-कम्प्युटर ए0, आनर्स 2. बी0बी0ए0
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति है, शिक्षकों हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नहीं है।

  
 Director  
 Higher Education  
 Jabalpur

7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	-निरंक-
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-राजनीति, इतिहास, समाज बी0काम0-द्वितीय-कम्प्युटर ए0, आनर्स. बी0बी0ए0

(4)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	सायना एजु0 सोसा0 कटनी	
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सायना इंटरनेशनल कालेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज, कटनी	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0काम0 आनर्स-तृतीय वर्ष	
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।	
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता तथा अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र अप्राप्त हैं।	
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	-निरंक-
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष, बी0काम0आनर्स-तृतीय वर्ष

(5)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	न्यू एजुकेशन सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एन0ई0एस0 एजु0 महा0 जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-प्रथम हिन्दी
4	आवेदित निरन्तरता के	--

*[Handwritten Signature]*  
 विश्वविद्यालय के अध्यक्ष  
 राजनीति विभाग  
 जबलपुर महाविद्यालय (म.प्र.)

5	पाठ्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	-निरंक-		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम हिन्दी	

(6)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	महाराष्ट्र शिक्षा मण्डल जबलपुर		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाराष्ट्र इंस्टी0 आफ हायर एजु0 जबलपुर		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	-		
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुये/नहीं होने संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र अप्राप्त है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	-निरंक-		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष	

(7)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सर्वोदय सेवा समिति तेन्दुखेडा नरसिंहपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	संत मोनी सर्वोदय महिला महा० तेन्दुखेडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. एम०ए०-उत्तरार्द्ध हिन्दी एवं अर्थशास्त्र
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	अर्थशास्त्र विषय में कालेज कोड 28 में नियुक्ति नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम एम०ए०-उत्तरार्द्ध हिन्दी
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम एम०ए०-उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र

(8)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	हितकारिणी विद्यापीठ जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	श्रीमती कमलाबाई त्रिपाठी कला वाणिज्य महा० बरगी जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. एम०ए० राजनीति 2. एम०काम० 3. बी०ए० हिन्दी, समाज
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान, ई.पी.एफ. कटौती नहीं किया जा रहा है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम -निरंक-
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम 1. एम०ए० राजनीति 2. एम०काम० 3. बी०ए० हिन्दी, समाज


  
 विशेष: अनापत्ति अधिकारी  
 उच्च शिक्षा, जबलपुर  
 सतसुखी कानून कक्षा (ए.प्र.)

(9)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सोनी कम्प्युटर एजु0 सोसा0 छिन्दवाडा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सोनी कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नो0 छिन्दवाडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-द्वितीय-राजनीति, समाज, कम्प्युटर ए0 2. बी0एसी0-तृतीय- भौतिक, गणित, कम्प्यु0ए0
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय शासन के निर्देश पर पिछले सत्र प्रथम वर्ष से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं हैं, समिति गठन होकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत वर्ष की आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति तथा संबद्धता नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1. बी0ए0-द्वितीय-राजनीति, समाज, कम्प्युटर ए0 2. बी0एसी0-तृतीय-भौतिक, गणित, कम्प्यु0ए0

(10)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्रीराम आदर्श शिक्षा समिति सिवनी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	डी0पी0 चतुर्वेदी वाणिज्य विज्ञान एवं कला महा0 सिवनी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. एल0एल0बी0-द्वितीय
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय की संबद्धता, जीरो इयर प्रमाण पत्र/दाण्डक शुल्क जमा नहीं किया गया है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1. एल0एल0बी0-द्वितीय


  
 ...  
 ...  
 ...

(11)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री गुरु तेग बहादुर एजु0सो0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महा0 जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0काम.0-द्वितीय आनर्स 2. एल0एल0बी0-तृतीय
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1. बी0काम.0-द्वितीय आनर्स 2. एल0एल0बी0-तृतीय

(12)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सोशल स्टूडेंट वेलफेयर सो0 छिन्दवाडा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सौंसर गर्ल्स कालेज आफ साइंस टेक्नोलॉजी मोहगांव रोड सौंसर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-तृतीय-राजनीति, अर्थशा0,कम्प्यु0ए0 2. बी0ए0-द्वितीय-समाजशास्त्र 3. बी0एससी0-तृतीय-प्राणी, वनस्पति,कम्प्यु0ए0, कम्प्युटर साइंस, माईक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री 4. बी0एससी0-तृतीय,भौतिक, गणित,रसायन 5. बी0काम0-तृतीय
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय शासन के निर्देश पर पिछले सत्र में प्रथम वर्ष से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति के प्रपत्र डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अभिलेख उपलब्ध कराये हैं तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड-28 में प्राचार्य एवं संचालित पाठ्यक्रमों नियुक्ति नहीं, वेतन भुगतान हेतु बैंक प्रमाण नहीं, ईपीएफ कटौती नहीं।

  
 विश्वविद्यालय के अध्यक्ष  
 विश्वविद्यालय, सागर  
 दिनांक: 15/05/2023



7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-तृतीय-राजनीति, अर्थशा0,कम्यु0ए0 2. बी0ए0-द्वितीय-समाजशास्त्र 3. बी0एससी0-तृतीय-प्राणी, वनस्पति,कम्यु0ए0, कम्युटर साइंस, माईकोबायोलॉजी, इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री 4. बी0एससी0-तृतीय,भौतिक, गणित,रसायन 5. बी0काम0-तृतीय

(13)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	शिक्षा मण्डल म0प्र0 शाखा जबलपुर	
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	जी0एस0 कालेज कामर्स एकोनामी जबलपुर	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	--	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स तृतीय	
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।	
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	पूर्ति पूर्ण है।	
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स तृतीय
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	

(14)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सिख एजुकेशन सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	हरीसिंह रूपरहा कला वाणिज्य एवं विधि महा0 केंट जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-द्वितीय,इतिहास, राजनीति,अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0-द्वितीय कम्युटर एप्ली0

*[Handwritten Signature]*  
 11/05/2023

5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड-में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं एवं आवेदित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियों नहीं है। वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रमाण नहीं। ईपीएफ कटौती के दस्तावेज नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	--
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-द्वितीय, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0-द्वितीय कम्प्युटर एप्ली0

(15)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	शाबी एजुकेशन सोसा0 छिन्दवाडा		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	फरचुन ग्रुप आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कालेज चोरई छिन्दवाडा		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	--		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-कम्प्युटर ए0-तृतीय 2. बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी, माइक्रोबायोलॉजी		
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय शासन के निर्देश पर पिछले सत्र में प्रथम वर्ष से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति के प्रपत्र डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अभिलेख उपलब्ध कराये हैं तथा महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	वि0वि0 की संबद्धता, कालेज कोड-28 में नियुक्तियों के दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, ईपीएफ कटौती एवं वेतन का भुगतान के बैंक प्रमाण प्रस्तुत नहीं हैं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	--
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-कम्प्युटर ए0-तृतीय 2. बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी, माइक्रोबायोलॉजी


*(Handwritten Signature)*  
K

(16)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रमादेवी शिक्षण एवं सेवा समिति, डिण्डोरी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	मेकलसुता उत्कृष्ट महा0 डिण्डोरी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0एससी0-तृतीय-कम्प्युटर एप्लीकेशन
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	पूर्ति है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1. बी0एससी0-तृतीय-कम्प्युटर एप्लीकेशन

(17)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एम0आर0 निमले प्रेम मिशन देहली
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	संत रामानंद महा0 मण्डला
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी.ए.-प्रथम 2. बी0काम0-प्रथम 3. बी0एससी0-प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति नहीं, बैंक से वेतन भुगतान संबंधी विवरण पत्रक, धारा-27 में समिति के नवीन सूची, संस्था द्वारा पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों की विवि की संबद्धता प्राप्त न होने तथा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का संचालन न होने से नवीन पाठ्यक्रम दिया जाना संभव नहीं।

  
 विशेष उपस्थिति अधिकारी  
 राज्य शिक्षा आयोग, जबलपुर  
 जलपुर, 22.08.2019 (17/19)




(19)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला समिति, जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	ए0पी0 नर्मदा महा0 सदर कॅट जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	गत वर्ष का परीक्षा परिणाम तथा प्रवेशित छात्र-संख्या, जीवित एफ. डी.आर., निर्मित क्षेत्रफल, कुल कक्षाओं का विवरण, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, इत्यादि दस्तावेज अप्राप्त हैं। कार्यालयीन पत्र दिनांक 14/02/2017 चाहे अनुसार संस्था द्वारा कमी/पूर्ति संबंधी जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम अमान्य पाठ्यक्रम 1. पीजीडीसीए

(20)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सतगुरु देव वापोली वाले गुरु जी शिक्षा समिति साईंखेडा नरसिंहपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	न्यूटन कालेज आफ साइंस एण्ड टेक्नॉ0 साईंखेडा, नरसिंहपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी0काम0-प्रथम कम्प्यु0 ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-तृतीय-राजनीति, अर्थ, समाज 2. बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित, रसायन
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	संस्था सत्र 2014-15 से किराये के भवन में संचालित है। मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। किराये के भवन से लीज के भवन में स्थान परिवर्तन की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा से प्राप्त नहीं की गई है। यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज अप्राप्त रहे हैं। आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुये/नहीं होने संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0-तृतीय-राजनीति, अर्थ, समाज 2. बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित, रसायन 3. बी0काम0-प्रथम कम्प्यू0 ए0	

(21)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	बेन गंगामाई शिक्षण संस्थान खुरसरा सिवनी		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाजन महा0 अरडिया जिला सिवनी		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0एससी0-बायो/ गणित-प्रथम		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—		
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अन्य पाठ्यक्रम में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 में दी गई सम्बद्धता, कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति की जानकारी, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा-पत्र, आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुये/नहीं होने संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख संलग्न नहीं है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-बायो/ गणित-प्रथम	


विशेष अधिकारी  
उच्च शिक्षा, राजस्थान  
जयपुर

(22)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वीर नारायण जनकल्याण आदिवासी संस्थान, छिन्दवाडा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	वीर नारायण महा० पार्दुना पिपरिया तह० तामिया छिन्दवाडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०काम०-प्रथम एवं कम्प्युटर ए०
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी०ए०-द्वितीय-राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशा० 2. बी०एससी०-द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय शासन के निर्देश पर पिछले सत्र में प्रथम वर्ष से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति के प्रपत्र डॉ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अभिलेख उपलब्ध कराये हैं तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड 28 के तहत नियुक्तियां नहीं हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
		मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी०काम०-प्रथम एवं कम्प्युटर ए० बी०ए०-द्वितीय-राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशा० बी०एससी०-द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन

(23)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वीर नारायण जनकल्याण आदिवासी संस्थान, छिन्दवाडा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	वीर नारायण महा० पार्दुना पिपरिया तह० तामिया छिन्दवाडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०काम०-प्रथम एवं कम्प्युटर ए०
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी०ए०-द्वितीय-राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशा० 2. बी०एससी०-द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय शासन के निर्देश पर पिछले सत्र में प्रथम वर्ष से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति के प्रपत्र डॉ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अभिलेख उपलब्ध कराये हैं तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।


  
 विशेष उच्च शिक्षा अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान  
 जयपुर, राजस्थान

6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड 28 के तहत नियुक्तियां नहीं है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नहीं है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-प्रथम एवं कम्प्युटर ए0 बी0ए0-द्वितीय-राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशा0 बी0एससी0-द्वितीय-भौतिक, गणित, रसायन	

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 581/999/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर संभाग (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.